प्रेषक,

ओम प्रकाश,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग-1 देहरादून दिनांक 20 मई,2011

विषयः- न्याय पंचायत कृषि निवेश केन्द्रों पर सहायक रखे जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4782 दिनांक 09 सितम्बर,2010 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम राज्यपाल महोदय प्रदेश के 670 न्याय पंचायतों में प्रत्येक कृषि निवेश वितरण केन्द्र पर अंशकालिक रूप में एक-एक सहायक रखने की निम्न प्रतिबन्धों के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) कृषि निवेश विपणन केन्द्र पर नियमित अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-2/वर्ग-3 के अधिकारी के पदीय दायित्वों के सुविधापूर्वक निर्वहन हेतु सहायतार्थ एक सहायक नितांत अंशकालिक रूप में (प्रत्येक कार्य दिवस पर 4 घण्टे जैसा सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नियत किया जाये) रखा जायेगा, जिसे ₹2500/-प्रतिमाह नियत पारिश्रमिक देय होगा।

(2) अंशकालिक सहायक के रूप में केवल सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी /भूतपूर्व सैनिक/गोरिल्ला को ही उपलब्धता के अनुसार योजित किया जायेगा।

(3) यह सहायक उस ग्राम का स्थायी निवासी होगा जहां सम्बन्धित कृषि निवेश वितरण केन्द्र अवस्थित है। यदि उस ग्राम का स्थायी निवासी उपलब्ध नहीं है, तो सम्बन्धित न्याय पंचायत के अन्य सन्निकट ग्राम का स्थायी निवासी होगा।

(4) सम्बन्धित सहायक को प्रत्येक कार्य दिवस में कार्य करना होगा।

(5) इस सहायक का चयन न्याय पंचायत स्तर पर कार्यरत अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-2/वर्ग-3 के अधिकारी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी की संयुक्त समिति द्वारा किया जायेगा।

(6) न्याय पंचायत स्तरीय अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-2/वर्ग-3 के अधिकारी सम्बन्धित सहायक की उपस्थिति की सूचना पारिश्रमिक भुगतान हेतु प्रत्येक माह सम्बन्धित कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी/मुख्य कृषि अधिकारी को उपलब्ध करायेगा।

(7) प्रत्येक सहायक के पारिश्रमिक का भुगतान मुख्य कृषि अधिकारी/कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी सम्बन्धित सहायक के बैंक खाते में डालेगा।

(8) सम्बन्धित सहायक, न्याय पंचायत स्तर पर तैनात अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-2 /वर्ग-3 के अधिकारी के निर्देशन में कार्य करेगा।

(9) सम्बन्धित सहायक को निम्नानुसार कार्य करने होंगे:-

(i) कृषि निवेश वितरण केन्द्र के भण्डार एवं कार्यालय को खोलना बन्द करना एवं उसकी सफाई करना।

(ii) न्याय पंचायत पर प्राप्त होने वाले कृषि निवेशों को भण्डार में सुरक्षित रखना, कृषकों को वितरण करना तोलना एवं भण्डार से निकाल कर उपलब्ध कराना।

(iii) गोष्ठियों, प्रशिक्षण एवं कृषक महोत्सव के समय अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–2/वर्ग–3 के अधिकारी के निर्देशानुसार बैठने की व्यवस्था, पानी पिलाना, जलपान इत्यादि आवश्यक व्यवस्थाओं में सहयोग करना।

(iv) न्याय पंचायत पर तैनात अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–2/वर्ग–3 के अधिकारी के निर्देशानुसार अन्य कार्य।

(10) यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 पत्र सं0 12 (P)/XXVII-(4)/2011 दिनांक 19 मई,2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

/

(ओम प्रकाश)

सचिव

संख्या 411 /XIII(1)/-2011–3(08)2008 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मा0 कृषि मंत्री, उत्तराखण्ड।
4. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी एवं कुमाऊ मण्डल, हल्द्वानी।
5. निदेशक, पंचायती राज, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. अपर कृषि निदेशक/संयुक्त निदेशक, गढ़वाल/कुमाऊ मण्डल, उत्तराखण्ड।
9. समस्त मुख्य कृषि अधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
14. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)

उप सचिव

संख्या: 84८ /XIII-1/2015-3(8)2008TC

प्रेषक,

एस0 रामास्वामी,
प्रमुख सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 25 अगस्त, 2015

विषयः कृषि विभाग के अंतर्गत न्याय पंचायत स्तर पर तैनात कृषि सहायकों की कार्यावधि एवं मानदेय में वृद्धि किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–4395/स्था0/बैठक/2014–15 दिनांक 15.10.2014 एवं शासनादेश सं0–411/XIII-2011-3(8)2008 दिनांक 20 मई, 2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय प्रदेश के 670 न्याय पंचायतों में अवस्थित कृषि निवेश केन्द्र पर कार्यरत कृषि सहायकों के पूर्व में निर्धारित समयावधि एवं मानेदय में तत्काल प्रभाव से संशोधन करते हुए पूर्ण कार्यदिवस की समयावधि हेतु रू0 6000/– (रूपए छः हजार मात्र) प्रतिमाह नियत किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– शासनादेश सं0–411/XIII-2011-3(8)2008 दिनांक 20 मई, 2011 के प्रस्तर–1 में न्याय पंचायत में तैनात कृषि सहायक को प्रत्येक कार्यदिवस में मात्र 04 घंटे कार्य हेतु नियत मासिक मानदेय रू0 2500/– के स्थान पर पूर्ण कार्यदिवस की समयावधि के लिए रू0 6000/– मासिक मानदेय देय होगा।

3– शासनादेश सं0–411/XIII-2011-3(8)2008 दिनांक 20 मई, 2011 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 सं0–22(NP)/XXVII(4)/2015 दिनांक 21 अगस्त, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0 रामास्वामी)
प्रमुख सचिव

क्रमशः.....................2

संख्याः 846 /XIII-1/2015-3(8)2008TC/तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, वन एवं ग्राम्य विकास शाखा, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तराखण्ड।
4. निजी सचिव, मा0 कृषि मंत्री, उत्तराखण्ड।
5. आयुक्त, गढ़वाल मंडल, पौड़ी/कुमाऊं मंडल, नैनीताल।
6. निदेशक, पंचायती राज, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. अपर कृषि निदेशक, पौड़ी/संयुक्त कृषि निदेशक, हल्द्वानी।
11. समस्त मुख्य कृषि अधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह परमार)
अनु सचिव